निगरानी याचिका क्र. /2018

प्रस्तुती दिनांक - .09.2018

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

निगरानी/-5583/2018/इंदौर/म.रा.

1. **मीराबाई पति अम्बाराम पाटीदार**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
   निवासी - ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
2. **महेन्द्र पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
   निवासी - ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
3. **ओमप्रकाश पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
   निवासी - ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर
4. **हुकुमचन्द पिता अम्बाराम पाटीदार**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि
   निवासी - ग्राम खजराना, तहसील व जिला इन्दौर

समस्त तर्फे आम मुख्त्यार :-

इस्लाम पिता शफी पटेल
आयु - वयस्क, व्यवसाय - व्यापार
निवासी - 8, हीना पैलेस, खजराना, इन्दौर

- प्रार्थीगण/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. **श्री गिरीराज पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - ज्ञात नहीं
   निवासी - 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
2. **श्रीमती रामसुखीदेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - ज्ञात नहीं
   निवासी - 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
3. **लीलादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु - वयस्क, व्यवसाय - ज्ञात नहीं
   निवासी - 151, छत्रपति नगर, इन्दौर

अविरत्...

4. **थापूदेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर
5. **रेखादेवी पिता वल्लभदास गुप्ता**
   आयु – वयस्क, व्यवसाय – ज्ञात नहीं
   निवासी – 151, छत्रपति नगर, इन्दौर – प्रत्यर्थीगण

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय, श्रीमान तहसीलदार महोदय, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 33/अ–6अ/17–18 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2018 एवं समस्त कार्यवाही से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5583/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-9-18	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय इंदौर के प्रकरण क्रमांक 33/अ-6-अ/17-18 में आदेश दिनांक 14-8-18 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को जबाव हेतु प्रकरण नियत किया गया है जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	